परियोजना-8

लोकनृत्यों की वार्षिक प्रतियोगितायें

(सरकार के पत्र संख्याः भाषा-क(3)10/80, दिनांक 11 अक्तूबर, 1985 द्वारा अनुमोदित)

1 भूमिका :

दूरदर्शन, वीडियो, सिनेमा आदि के प्रभाव में आकर लोककला के स्वरूप में काफी गिरावट आ रही है और पुरातन स्वरूप नष्ट होता जा रहा है । लोक नृत्यों के पुरातन स्वरूप को बनाए रखने तथा बढ़ावा देने के लिए लोकनृत्यों की प्रतियोगिताओं की यह परियोजना है।

2 उद्देश्य :

1 लोकनृत्यों के पुरातन स्वरूप को बनाये रखना ।
2 स्वच्छ प्रतिस्पर्धा की भावना विभिन्न सांस्कृतिक दलों में जागृत करना।
3 प्रदेश के बेहतरीन लोक नर्तक दलों का चयन करना ।

3 प्रतियोगिता की सूचना :

1 जिला स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं को समाचार पत्रों, आकाशवाणी, जिलाधीशों तथा अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर प्रचारित किया जायेगा ताकि विभिन्न स्थानों से सांस्कृतिक दल इस प्रतियोगिता में भाग ले सकें ।

4 प्रक्रिया :

1 कोई भी पंजीकृत अथवा अपंजीकृत सांस्कृतिक दल इस प्रतियोगिता में भाग ले सकेगा ।
2 विभिन्न जिलों में लोकनृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन निश्चित तिथि व स्थान पर किया जायेगा ।
3 लोक नर्तकों की संख्या 22 से अधिक नहीं होगी । जिसमें कम से कम 12 नर्तक होंगे इसके अतिरिक्त 10 सदस्य वादक तथा पृष्ठ गायकों के रूप में भाग लेंगे ।
4 मौलिक तथा पारम्परिक नृत्य ही प्रस्तुत किये जायेंगे ।
5 सम्बंधित दल, केवल अपने जिले का ही लोकनृत्य प्रस्तुत करेगा ।
6 विभिन्न जिलों का मिला-जुला लोक नृत्य प्रतियोगिता में नहीं लिया जायेगा ।
7 प्रतियोगिता में पारम्परिक वाद्यों का ही प्रयोग किया जायेगा ।
8 नृत्य की अवधि 10 से 12 मिनट तक की होगी ।
9 नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले परिधान पारम्परिक होने चाहिए, किसी प्रकार की बनावट नहीं होनी चाहिए ।

5 निर्णायक मण्डल :

1 प्रत्येक जिले में एक निर्णायक मण्डल गठित किया जायेगा ।
2 इस मण्डल में तीन निर्णायक होंगे ।
3 निर्णायकों में से एक प्रतिनिधि, विभाग का होगा ।
4 एक प्रतिनिधि जिलाधीश द्वारा मनोनीत किया जायेगा ।
5 अनिवार्य रूप से एक निर्णायक गैर सरकारी होगा जिसे उस जिले की संस्कृति का अच्छा ज्ञान हो ।
6 निर्णायक मण्डली का निर्णय अन्तिम होगा ।
7 किसी संस्था स्कूल या कालेज के दल द्वारा इस प्रतियोगिता में भाग लेने पर मनाही नहीं होगी ।

6 धन राशि :

1 प्रतियोगिता में भाग लेने वाले दल को आने-जाने तथा ठहरने आदि का कोई खर्चा नहीं दिया जायेगा ।
2 किसी दल से किसी प्रकार की कोई एण्ट्री फीस नहीं ली जायेगी ।
3 दस या इससे कम सांस्कृतिक दलों को एक ब्लॉक माना जायेगा और प्रत्येक निर्णायक को प्रति ब्लॉक 50/- रुपये का पारिश्रमिक दिया जायेगा ।
4 निर्णायकों को आने-जाने के तीन किराये के अतिरिक्त ठहरने आदि का सारा खर्च विभाग द्वारा किया जायेगा ।
5 प्रत्येक निर्णायक के भोजन आदि पर 30/- रुपये प्रतिदिन व्यय भी विभाग द्वारा किया जायेगा ।
6 जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार इस प्रकार होंगे:
प्रथम आने वाला दल : 1500/- रुपये
द्वितीय आने वाला दल : 1000/- रुपये
तृतीय आने वाला दल : 0500/- रुपये

7 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता :

1 जिला स्तर पर हर प्रथम आने वाले दल को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु शिमला अथवा किसी अन्य चयनित स्थान पर बुलाया जायेगा ।
2 इन दलों को आने-जाने के तीन किराये दिये जायेंगे ।
3 ठहरने की व्यवस्था विभाग द्वारा निःशुल्क की जायेगी ।
4 भोजन आदि के लिए आयोजन के दिनों प्रति कलाकार पर 30/- रुपये का खर्च भी विभाग द्वारा किया जायेगा ।
5 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले दल को रुपये 3,000/-, द्वितीय को रुपये 2,500/- तथा तृतीय आने वाले दल को रुपये 1,500/- की राशि का नकद पुरस्कार दिया जायेगा ।
6 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भी एक निर्णायक मण्डल का गठन किया जायेगा जिसमें एक सदस्य विभाग का होगा और चार ऐसे सदस्य होंगे जिन्हें हिमाचल प्रदेश की संस्कृति का ज्ञान हो । इन में से दो सदस्य प्रदेश के होंगे और दो प्रदेश के बाहर के होंगे परन्तु इन सभी को भारतीय/हिमाचल प्रदेश लोकनृत्यों का ज्ञान होना आवश्यक होगा ।
7 इस निर्णायक मण्डल का पारिश्रमिक 250/- रुपये प्रति निर्णायक होगा तथा अन्य सुविधायें होंगी जो जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में दी जायेंगी ।